

I should like to know from the hon. Minister whether they will consult the press people also. (*Interruptions*) You are selling services. You are making money. Why should you put a restriction? If you are selling services, why should you put a restriction? Will he reconsider the suggestion?

SHRI SANTOSH MOHAN DEV: Sir, we are already considering all these aspects. We have not yet taken any decision. These views will be kept in mind.

श्री सरेन्द्रजीत सिंह अहलवालिया :
समापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि पटना का वासी हूँ। पटना शहर में 4 एक्सचेंज हैं एस० टी० डी० की बात तो दूर रही एस० टी० डी० पर तो बात कर ही नहीं सकते हैं। मैं बाकायदा 62 एक्सचेंज में स्थित हूँ 62 एक्सचेंज से 22 में टेलीफोन बंक करना हो तो वही नहीं लगता है। इसके बारे में क्या कोई कार्यवाही की जा रही है ?

SHRI SANTOSH MOHAN DEV: Sir, I will look into this particular problem.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, I disagree with the Minister that it is only the housewives who are responsible for prolonged calls. In a masculine society, in a man-dominated society, it is quite useful to speak like this. But, I have come across a number of instances when the other sex had been misusing the phones for a long time. Let us not go into that. But I am in favour of putting a curb on prolonged phone calls because sometimes telephones are misused. Therefore, some curb should be there. And what is the extent of the curb, of course, is a matter to be decided. But before you put a curb on telephone calls whether in a city or in a STD line, let me ask the hon. Minister to state whether he will take steps to modernise the Calcutta Telephones because it is in an absolute shambles. Will he take steps to ensure that the young women operators do not receive

physical shocks while handling the telephone instruments? It had been denied by the Management...

MR. CHAIRMAN: Time is up.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Just a moment, Sir. Sir, I came across a number of young women who had received shocks, who had been hospitalised and the Management had been consistently denying it. I want an assurance from him whether he is going to look into it.

SHRI SANTOSH MOHAN DEV: Sir, we are...

MR. CHAIRMAN: I suppose the Minister is not responsible for the shock.

SHRI N. K. P. SALVE: Are you sure about it, Sir?

SHRI SANTOSH MOHAN DEV: Sir, we are taking appropriate steps for improvement of the Calcutta Telephones. And I had meetings with the Members of West Bengal regarding this. I am getting co-operation from all of them. And from my Department, we shall extend all co-operation. As regards shocks, this is a closed affair. I do not want to answer that because this was happening in the past. Now it has been completely stopped. About who is shocking whom, I do not want to explain here. Sir.

MR. CHAIRMAN: Question No. 288.

पुस्तकों का अनधिकृत प्रकाशन

*288 श्रीमती बीणा वर्मा :

श्री कपिल वर्मा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की पा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम का उल्लंघन करके बहुत

सिखा में यह प्रश्न श्रीमती बीणा वर्मा द्वारा पूछा गया ।

बड़े पैमाने पर पुस्तकों के अनधिकृत प्रकाशन की जानकारी है हालांकि इस अधिनियम को और अधिक कठोर बना दिया गया है ;

(ख) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि इससे राजकोष और गैर-सरकारी संस्थाओं को अत्यधिक घाटा हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारी उपाय किये जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साहू) : (क) से (ग). कापीराइट एक मालिकाना अधिकार है और कापीराइट का स्वामी भारतीय कापीराइट अधिनियम, 1957 के अंतर्गत उपयुक्त न्यायालय में दीवानी अथवा फौजदारी कार्यवाही कर सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी भारतीय लेखकों की प्रतियां सुरक्षित हैं क्योंकि भारत वर्न अधिवेशन तथा विश्व कापीराइट सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता है जिसमें यह प्रावधान है कि संविदाकारी राज्यों में से किसी एक राज्य की मूल प्रतियों को अन्य संविदाकारी राज्य में स्वतः ही संरक्षण दिया जाएगा।

शिक्षा विभाग का संबंध केवल कापीराइट अधिनियम, 1957 के प्रशासन से है और कापीराइट अधिनियम को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

1984 में कापीराइट अधिनियम को संशोधित किया गया था ताकि विभिन्न अपराधों के लिये दण्ड को अधिक कड़ा बनाकर प्रभावी रूप से साहित्यिक चोरी पर रोक लगाई जा सके।

श्रीमती बीणा वर्मा : माननीय सभापति जी मैं कहना चाहती हूँ कि वर्ष 1984 में संघ सरकार ने कापीराइट कानून में संशोधन किया जिसके तहत किताबों के जाली संस्करण छापने वाले प्रकाशकों की 50 हजार रुपये का जमाना तथा 6 महीने की कैद का प्रावधान है। यह कदम तो स्वागत योग्य है। फिर भी प्रकाशन जगत में कानून की परवाह किये बिना किताबों के जाली संस्करण छपते हैं। यह बात भारतीय प्रकाशकों के महासंघ की

ओर से ली गई थी। बड़े पैमाने पर पुस्तकों के जाली संस्करण तैयार होकर विकते हैं जिससे सरकारी संस्थाओं को प्रति वर्ष करोड़ों रुपये की हानि होती है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्या केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों ने इस तरह के मामलों की कोई सूचना दी है? अगर दी है तो कितने केसेज में दी है और उसमें कितनों को सजा दी गई है, क्या सजा दी गई है तथा साथ ही कितनी राशि की हानि हुई है?

श्रीमती कृष्णा साहू : सभापति महोदय, माननीय सदस्या ने तो एक ही साथ अनेक प्रश्न किये हैं, फिर भी मैं माननीय सदस्या को प्रश्न एक के उत्तर में बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो यह शिक्षा विभाग मात्र कापीराइट अधिनियम के प्रशासन से संबंधित है और उसका पालन राज्य सरकारों का दायित्व है। प्रशासन से संबंधित का अर्थ यह है कि बोर्ड का गठन एक्ट एमेंडमेंट रजिस्ट्रेशन आफ वर्स यह काम तो भारत सरकार का शिक्षा विभाग करता है परन्तु दायित्व राज्य सरकार का है। जहाँ तक माननीया सदस्या ने यह कहा है कि भारत में पाइरेसी की अधिक संख्या बढ़ती जा रही है और कहीं से सूचना मिली है कि नहीं। तो मैं माननीय सदस्या को बताना चाहती हूँ कि वाइपो यूनाइटेड नेशनज की एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है और उसने भारतीय कापीराइट की सराहना की है और कहा है कि भारत में पाइरेसी की स्थिति अच्छी है। मात्र भारत सरकार के पास राज्य सरकार से कोई सूचना नहीं मिली है परन्तु तीन मामले सामने आये हैं जो पाकिस्तान से संबंधित थे। विदेश मंत्रालय के माध्यम से पाकिस्तान सरकार से सम्पर्क किया गया है। काफी प्रयास के बाद पाकिस्तान सरकार ने बताया कि संबंधित लेखकों को बताया गया है कि वे चाहे तो पाकिस्तान के कोर्ट में प्रोसीडिंग कर सकते हैं, मामले को दर्ज करा सकते हैं।

श्रीमती बीणा वर्मा : क्योंकि सरकारी संस्थाओं द्वारा कुछ पुस्तकें समय पर न छापने के कारण व वितरण प्रणाली में समुचित व्यवस्था न होने के कारण ही ज्यादातर टैक्सट बुक्स के जाली संस्करण दिल्ली में ज्यादा विकत हैं। अतः प्रणाली को और कारगर

हंग से बनाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं विशेषकर दिल्ली के लिये ?

श्रीमती कृष्णा साहू : सभापति महोदय, टैक्सट बुक्स के अर्थ से मैं सही समझी वि: इनका क्या कहना है। लेकिन एक्साइज ड्यूटी तो भारत सरकार... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Both of you did not understand the position. Piracy is a civil right. If my copyright is violated I must go and file a suit. It is only a civil right. Government cannot enforce copyright violations.

SHRI KAPIL VERMA: Sir, I want to highlight the international part of it and the Hon. Minister says that India is signatory to the Berne Convention. As is well-known there is a large scale piracy of Indian author's books in Bangladesh, Pakistan and Nepal, particularly in Nepal because it is a free trade zone and our books are being sold there on a very large scale. What steps has the Government taken to check it?

श्रीमती कृष्णा साहू : सभापति महोदय, जो वर्न कंवेशन युनिवर्सल कापी राइट कंवेशन है उसके अनुसार इस समझौते के माध्यम से सदस्य देश एक-दूसरे के कापी राइट वर्क्स के अधिकारों को मान्यता तथा संरक्षण देते हैं और संबंधित लेखक स्वतः कानूनन कार्यवाही कर सकता है। परन्तु माननीय सदस्य अगर मुझे कोई स्पेसिफिक और अथेन्टिक उदाहरण बतायेंगे तो अश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : सभापति महोदय, जाली संरक्षण को रोकने के लिये क्या सरकार कुछ उपाय करेगी ?

श्रीमती कृष्णा साहू : सभापति महोदय, मैंने पहले ही बताया है कि उत्तर-दायित्व राज्य सरकारों का है और शिक्षा विभाग मात्र प्रशासन से संबंधित है। यह मैंने पहले भी बताया है।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTION

Delay in Commissioning of Business Subscribers Network

*281. **SHRI V. NARAYANASAMY:** Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the proposal to establish a Business Subscribers Network, to work as a special telecom network has been inordinately delayed;

(b) if so, what are the reasons therefor; and

(c) whether Government propose any action for early completion and commissioning of the BSN system in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SANTOSH MOHAN DEV): (a) to (c) There has been no delay. The status is as follows:

1. The Department of Telecommunications had arranged a feasibility study for Business Subscribers Network through an inter-ministerial committee. The committee submitted its report in October, 1986.
2. The Business Subscribers Network has been conceived in two parts—

(i) A communication network for the business and industry to permit effective communication between new industrial and business units coming up in the remote areas of the country with their headquarters etc.

This is proposed to be provided in the form of low speed data (1200 bts per second) and messaging facilities through satellite.

(ii) A comprehensive voice/non-voice communications network.